मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संक्षेपिका

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर81.

विषय:- पदोन्नति के लिए विचार करने के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 3-11-1981 की मानीटरिंग सेल की बैठक की कार्यवाही तथा उस पर विभाग की टीप ।

मानीटरिंग सेल की दिनांक 3-11-1981 की बैठक में पदोन्नति के लिये विचार करने के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में बनाई गई जानकारी पर विचार के समय मुख्य सचिव ने यह कहा कि उक्त जानकारी में निम्नलिखित संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए :-

(1) प्रत्येक व्यक्ति की पिछली पदोन्नति का इतिहास ;
(2) दक्षतारोध पार करने के संबंध में ;
(3) शैक्षणिक योग्यता के संबंध में ;

संक्षेपिका के साथ संलग्न ब्यौरा के परिशिष्ट-तीन में क्रमांक (2) के पश्चात् क्रमांक (3) जोड़कर उपर्युक्त जानकारी का भी समावेश कर दिया गया है ।

2/ यह आदेश भी दिया था कि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के कार्य का मूल्यांकन करने के संबंध में भारत सरकार के जो अनुदेश है, और इस संबंध में जारी किये जाने वाले अनुदेश की भी तुलना की जाए ।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के संबंध में जो अनुदेश जारी किये गये हैं, उसमें इस बात का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि पिछले

//2

कितने वर्षों के कार्य का मूल्यांकन किया जाए। भारत सरकार के अनुदेश में यह कार्य विभागीय पदोन्नति समिति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह उम्मीदवारों की उपयुक्तता के संबंध में वस्तुनिष्ट मूल्यांकन करने के लिये तौर तरीका तथा कार्य प्रणाली स्वयं निधारित करें। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेश में केवल इस बात के लिये मार्गदर्शन दिया गया है कि जब "योग्यता" के आधार पर चयन" करना हो तो विभागीय पदोन्नति समिति विचारार्ह क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के बारे में पहले यह निश्चित करें कि उनमें ऐसे कितने व्यक्ति है, जो पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त हैं। शेष व्यक्तियों के संबंध में "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा" तथा "अच्छा" इन तीन श्रेणीयों में उनकी योग्यता के आधार पर उनके कार्य का मूल्यांकन कर वर्गीकरण किया जाए तथा प्रत्येक श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों का नाम उनकी वरिष्ठताक्रम में श्रेणीवार अंकित किया जाए।

जिन पदों में चयन "वरिष्ठता प्रधान एवं योग्यता गोण" के आधार पर किया जावेगा, उसमें उपयुक्त व्यक्तियों के अलग-अलग श्रेणीवार वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में केवल जो व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपयुक्त है उनकी सूची उनकी वरिष्ठता क्रम के अनुसार बनाई जाए और जो व्यक्ति पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त है, उनकी सूची अलग से बनाई जाए।

3/ विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पुनरीक्षित प्रोफार्मा संलग्न है।

(एस0के0चतुर्वेदी) 9/11/87
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मंगलानी/9-11

परिशिष्ट-एक

§1§ जिस पद में पदोन्नति की जानी है उसका नाम ।

§2§ उपर्युक्त संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है ? § स्थायी तथा अस्थायी दोनों श्रेणियों के बारे में जानकारी दी जाए ।

परिशिष्ट-दो

§1§ भरती नियम के अनुसार उस पद में भरती करने के लिए कितना-कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है :-

§1§ सीधी भरती - कितना प्रतिशत
§2§ पदोन्नति - "
§3§ अन्य सेवा या पद से- स्थानांतर द्वारा "

प्रत्येक तरीके से भरने के लिए कुल कितने पद आते है ।

§2§ भरती नियम में पदोन्नति के लिए क्या मानदण्ड तथा शर्तें निर्धारित की गई है ? § भरती नियम की प्रति या संबंधित नियमों का उध्दरण भी रखा जाए §

§3§ पदोन्नति के कोटे में वर्तमान में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तथा रिक्त स्थानों की संख्या अलग अलग बताई जाए ।

§4§ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष तक सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण पदोन्नति कोटे में रिक्त होने वाले पदों की संख्या ।

§5§ क्या इसके पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही की सहमति प्राप्त हो चुकी है तथा चयन सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की पदोन्नति की जा चुकी है ।

परिशिष्ट-तीन :

§1§ भरती नियम के अनुसार जिन निम्नतर पदों से पदोन्नति की जानी है उसका नाम तथा उन पदों की पदक्रम सूची, जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख के पूर्व 31 मार्च की स्थिति दर्शाने वाली है । पदक्रम सूची के हरेक

//2

पृष्ठ पर उत्तरदायी अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए जिससे उसे प्रमाणित माना जा सके । इस पदक्रम सूची में जिन व्यक्तियों को तदर्थ रूप से अथवा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के बिना पदोन्नत किया गया है और जिन्हें पदोन्नति के लिए अधिक्रमण किया गया है, इसका उल्लेख उनके नाम के आगे रिमार्क कालम में किया जाए। जो व्यक्ति सेवा-निवृत्त हो चुके है या जिनका निधन हो गया है उसका उल्लेख उनके नाम के सामने रिमार्क कालम में किया जाए ।

§2§ उक्त पदक्रम सूची के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठताक्रम के अनुसार सूची जो भरती नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्रता रखते है और निर्धारित विचारार्थ क्षेत्र में आते है । इस सूची में ऐसे व्यक्तियों का नाम भी सम्मिलित किया जाए जो लोकहित में किसी अन्य विभाग या शासनाधीन निगमों, मंडलों इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर हों । § जो व्यक्ति शासन के अन्य विभाग, या किसी अर्द्ध शासकीय संस्था में स्वेच्छा से आवेदन कर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किये गये है उसका नाम सम्मिलित न किया जाए § ।

इस प्रकार सूची बनाते समय सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 17-10-1979 के ज्ञापन एफ क्र० 3-14/79/3/1 में उल्लिखित अनुदेश को भी ध्यान में रखा जाए जिसमें किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा पूरी करने मात्र से ही उनसे वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं करने का निर्देश दिया गया है ।

§3§ क्र० 2§ के अनुसार बनाई गई सूची में अंकित व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उनके नाम के सामने अंकित की जाए:-

(क) क्या वह वर्तमान् पद पर सीधी भरती से या पदोन्नति के द्वारा नियुक्त हुआ है ?

(ख) जो व्यक्ति पदोन्नति के द्वारा नियुक्त हुआ है, उनके बारे में यह जानकारी दी जाए कि क्या उसकी पदोन्नति प्रथम अवसर पर हुई थी या उसे इसके पूर्व अधिक्रमण किया गया था ? प्रथम अवसर में अधिक्रमण किये जाने के बाद उसे कब चयन किया गया ? पिछले कितने चयनों में उसे अधिक्रमण किया गया था ?

(ग) वर्तमान् पद के वेतनमान में दक्षतारोध पार करने की देय तिथि से दक्षतारोध पार करने की अनुमति प्रदान की गई थी ? यदि देय तिथि से दक्षतारोध पार करने की अनुमति नहीं दी गई तो बाद में कितने समय के पश्चात् उसका दक्षतारोध खोला गया ? (दक्षतारोध पार करने की तिथि तथा दक्षतारोध खोलने की तिथि अंकित की जाए ?

(घ) यदि किसी पद में पदोन्नति के लिये व्यावसायिक या शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई हो, तो प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में यह जानकारी भी अंकित की जाए कि उसके पास कौन-कौन सी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं है; तथा क्या वह पदोन्नति के लिये निर्धारित सभी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं पूरी करता है ?

परिशिष्ट-चार :

(1) परिशिष्ट तीन के क्रमांक (2) के अनुसार बनाई गई सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की अद्यतन गोपनीय चरित्रावलियां ऐसी चरित्रावलियां विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पूर्व 31 मार्च तक पूरी होनी चाहिए।

//4

§2§ उपर्युक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों की सूची–

§1§ जिसे निलंबन में रखा गया है,

§2§ जिसके विरुद्ध विभागीय जाँच या न्यायालय में अभियोजन चल रहा हो, या

§3§ विभागीय जाँच करने का निर्णय लिया गया है या अभियोजन के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है पर विभागीय जाँच आरंभ करने के लिए आरोप पत्र इत्यादि तामील नहीं किये गए हैं या न्यायालय में अभियोजन पंजी नहीं किया गया है अथवा जिन मामलों में राज्य सतर्कता आयोग ने विभागीय जाँच करने का न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुशंसा की हो ।

परिशिष्ठ–पाँच :

परिशिष्ट तीन के अनुसार बनाई गई सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की चरित्रावलियों में पिछले पाँच वर्षों में अंकित अभ्युक्तियों का प्रत्येक वर्ष का निम्नलिखित श्रेणियों में मूल्यांकन :–

§1§ उत्कृष्ट – क +
§2§ बहुत अच्छा – क
§3§ अच्छा – ख
§4§ साधारण – ग
§5§ घटिया – घ

तथा उक्त अवधि में उन्हें कोई दण्ड दिया गया हो या चरित्रावली चेतावनी अंकित की गई हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए ।

परिशिष्ट–छः

§1§ परिशिष्ट तीन के क्र० §2§ के अनुसार बनाई गई सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उनके कार्य के बारे में विशेष या असाधारण योग्यता का प्रमाण पत्र या प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है तो उसकी सूची एवं प्रमाण–पत्र प्रशंसा पत्र की प्रतिलिपि ।

§2§ ऐसे व्यक्तियों की सूची जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिसका उनकी पदोन्नति से संबंध आता है तथा प्रशिक्षण की पूर्ण जानकारी ।

परिशिष्ट-सात :

§1§ पदोन्नति के पद में नियमानुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या ।

§2§ भरती नियम के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की सूची जो पदोन्नति के लिए पात्रता रखते है एवं विचारार्थ क्षेत्र में आते है ।

§3§ यदि विचारार्थ क्षेत्र के भीतर आवश्यक संख्या में उपर्युक्त जातियों के व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची जो पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्रता रखते है ।

§4§ उपर्युक्त व्यक्तियों की गोपनीय चरित्रावलियों का पिछले पांच वर्ष में अंकित रिमार्क के आधार पर मूल्यांकन, कि वे पदोन्नति के लिए उपयुक्त है या नहीं ।

— x —